



**झारखण्ड सरकार**  
**कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग**  
**प्रभाग – (भूमि संरक्षण)**  
**कार्यालय – भूमि संरक्षण पदाधिकारी, डालटनगंज**

**वित्तीय वर्ष 2021-22 में परकोलेशन टैंक के निर्माण के लिए "जलनिधि" नामक योजना**

झारखण्ड राज्यनान्तर्गत कृषि को बढ़ावा देने, बहुफसलीय कृषि के विकास, मानसून पर कृषकों की निर्भरता कम करने हेतु विभिन्न श्रोतों से सिंचाई की समुचित व्यवस्था हेतु डीपबोर/परकोलेशन टैंक के निर्माण हेतु "जलनिधि" नामक एक नयी योजना वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ की गयी है। जिससे कृषि योग्य भूमि को सिंचित और बहुफसलीय कृषि को बढ़ावा दिया जा सके।

**(योजना का स्वरूप)**

**1. डीप बोरिंग की योजना**

कार्य योजना	पात्रता	अनुदान की राशि		
		अनुमानित योजना लागत प्रति इकाई	अधिकतम अनुदान की राशि	पानी पंचायत अंशदान की राशि
1	2	3	4	5
योजनान्तर्गत 6 इंच Diameter deep boring submersible pump 1.5 Hp आवश्यक Accessories एवं संस्थापन (Installation) के साथ	योजना लघु एवं सीमांत कृषक समूहों के लिए लागू होगा। विभागीय मार्गदर्शन के आलोक में विधिवत पानी पंचायत का गठन कर इसका कार्यान्वयन कराया जायेगा। समिति के सदस्यों के पास कलस्टर में न्यूनतम 5 एकड़ भूमि होना अनिवार्य होगा।	3.50 लाख	90 प्रतिशत (3.15 लाख)	10 प्रतिशत (0.35 लाख)

**2. परकोलेशन टैंक निर्माण की योजना (Percolation Tank)**

कार्य योजना	पात्रता	अनुदान की राशि		
		अनुमानित योजना लागत प्रति इकाई	अधिकतम अनुदान की राशि	पानी पंचायत अंशदान की राशि
1	2	3	4	5
Length of Percolation Tank - 120ft. width of Percolation Tank - 100 ft. Depth of Percolation Tank -12ft. Length of Bound -370ft. Side Slope-1:1	योजना लघु एवं सीमांत कृषक समूहों के लिए लागू होगा विभागीय मार्गदर्शन के आलोक में विधिवत पानी पंचायत का गठन कर इसका कार्यान्वयन कराया जायेगा। समिति के सदस्यों के पास कलस्टर में न्यूनतम 10 एकड़ भूमि होना अनिवार्य होगा।	4.70 लाख	90 प्रतिशत (4.23 लाख)	10 प्रतिशत (0.47 लाख)

**डीप बोरिंग/परकोलेशन टैंक का आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 10-09-2021 है।**

**कृषक/संस्था का चयन**

- (i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/लघु/सीमांत कृषक/महिला कृषकों/इच्छुक कृषक समूहों का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।
- (ii) जिन कृषक समूहों को पूर्व में डीप वेल बोरिंग, सिंचाई पम्प का लाभ प्राप्त हो चुका है, उनकी पात्रता "जलनिधि योजना" के लिए मान्य नहीं होगी।
- (iii) योजना के कार्यान्वयन में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी एवं ग्राम सभा द्वारा चयनित योजनाओं तथा माननीय स्थानीय विधायक की अनुशंसा को प्राथमिकता दी जायेगी।

## आवेदन की प्राप्ति

- (i) भूमि संरक्षण पदाधिकारी, डालटनगंज के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध सुपात्र कृषकों से विहित प्रपत्र-I में आवेदन प्राप्त किया जाएगा।
- (ii) भूमि संरक्षण पदाधिकारी, डालटनगंज के कार्यालय से निशुल्क आवेदन-पत्र प्राप्त किया जा सकता है।
- (iii) आवेदन-पत्र का प्रारूप विभागीय वेब साईट [www.jharkhandsoil.gov.in](http://www.jharkhandsoil.gov.in) पर भी उपलब्ध है।
- (iv) आवेदन-पत्र निम्न कागजातों के साथ भूमि संरक्षण कार्यालय, डालटनगंज एवं सिंगल विण्डो सेन्टर में जमा लिया जायेगा:-
  1. संबंधित योजना ग्राम-सभा में पारित होनी चाहिए एवं पारित प्रस्ताव की छायाप्रति मुखिया द्वारा अभिप्रमाणित।
  2. पानी-पंचायत गठित कर, रजिस्टर की छायाप्रति एवं (क्षेत्रीय कर्मचारी एवं स्थानीय मुखिया की अध्यक्षता में) पानी-पंचायत के गठन की फोटोग्राफी।
  3. पानी-पंचायत का राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता खोलकर कृषक-अंशदान की राशि के साथ बचत खाता की छायाप्रति। (चयनित अध्यक्ष एवं सचिव का संयुक्त खाता)
  4. लाभान्वित कृषकों की सूची विहित प्रपत्र में। (मूल प्रति)
  5. गाँव के नक्शे पर संबंधित योजना को चिन्हित कर ट्रेंस नक्सा।
  6. जमीन का अद्यतन रसीद / अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत भू-धारिता प्रमाण पत्र एवं पहचान-पत्र।
  7. अंचलाधिकारी के द्वारा निर्गत चेक स्लिप।
  8. योजना स्थल के चयन में दोन - I एवं III को प्राथमिकता प्रदान किया जायेगा।
  9. योजना स्थल का पानी पंचायत के सदस्यों के साथ रंगीन फोटोग्राफ।

उक्त योजना से संबंधित अन्य जानकारियों के लिए निम्न पत्ते पर संपर्क किया जा सकता है।

कार्यालय का पता:- भूमि संरक्षण पदाधिकारी, डालटनगंज  
पलामू समाहरणालय, के ब्लॉक- C  
द्वितीय तल्ला डालटनगंज  
दुरभाष संख्या:-06562-230223

16-8-2021

भूमि संरक्षण पदाधिकारी,  
डालटनगंज

ज्ञापांक.....94 / भू0सं0 डालटनगंज / दिनांक ....16-08-2021:

- प्रतिलिपि:-
- (1) जिला कृषि पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ प्रेषित। निर्देश दिया जाता है कि सभी प्रभारी पदाधिकारी, सिंगल विण्डो सेन्टर, को निर्देशित करना चाहेंगे कि सूचना पड्ड पर प्रदर्शित किया जाय।
  - (2) सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पलामू जिला को सूचनार्थ प्रेषित। निर्देश दिया जाता है कि प्रखण्ड सूचना पड्ड / पंचायत सचिवालय सूचना पड्ड पर विज्ञापन को प्रदर्शित किया जाय। अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों, पंचायत समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा जिला परिषद के सदस्यों को अपने स्तर से योजना से अवगत कराना सूनिश्चित करेंगे।
  - (3) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-उप विकास आयुक्त जिला परिषद पलामू को सूचनार्थ समर्पित। भवदीय से आग्रह है कि जिला परिषद पलामू के सूचना पड्ड पर प्रदर्शित कराने की कृपा की जाय।
  - (4) जिला सूचना पदाधिकारी पलामू को सूचनार्थ प्रेषित। आग्रह करना है कि District Portal पर Upload करने की कृपा की जाय।
  - (5) उपायुक्त, पलामू को सूचनार्थ समर्पित।

16-8-2021  
भूमि संरक्षण पदाधिकारी,  
डालटनगंज